



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082024-256182  
CG-DL-E-08082024-256182

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2024/श्रावण 16, 1946

No. 443]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024/SHRAVANA 16, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 482(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1(ड) के अनुसरण में, तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 26 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 601(अ) के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार, श्री सुशील कुमार सिंह, पूर्व संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर एतद्वारा श्री अनिमेष भारती, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के एक पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-भाग(2)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS****(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2024

**G.S.R. 482(E).**—In pursuance of sub-section 1 (e) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) No. G.S.R.601(E) dated the 26<sup>th</sup> July, 2022, the Central Government hereby appoints Shri Animesh Bharti, Senior Economic Adviser, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, in place of Shri Sushil Kumar Singh, former Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping & Waterways, as an Ex-officio Member of the Board of Deendayal Port Authority with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part (2)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.